भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

R.B. Singh Advocate/Notary Prayagraj Reg. No. 20/13/2000 NOTARIAL Govt. of U.P. India

30 JUN 2023

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FZ 887777

31-08-2023

शपथपत्र

हम डॉ नीरज अग्रवाल (निदेशक) एवं डॉ कीर्तिका अग्रवाल (निदेशक) वात्सल्य इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज 6/8 एल्गिन रोड सिविल लाइन्स प्रयागराज शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते है –

1. यह कि हमारी कम्पनी Under Section-8 Company act(Non Profit Company) द्वारा वात्सल्य इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी कम्पनी Under Section-8 Company act(Non Profit Company) के नाम ग्रांम पंवर करछना प्रयागराज में गाटा संख्या 8,9,10,11,103 घ, 103ग, 18,114,5,7,12,13,14,15,17 कुल रकवा 1.3346 हेक्टेयर भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर कम्पनी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 8,9,10,11,103 घ, 103ग, 18,114,5,7,12,13,14,15,17 एवं (1.3346 हेक्टेयर 3.3 एकड कुल रकवा) 2.013 एकड पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 02-09-2022. द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनो का निर्माण अनुमोदित नक्श के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर कम्पनी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि , इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा ।

8. यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्रविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/ विद्यालय/महाविद्यलय/आई0 टी0 आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और नही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओ एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्रविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा ।

11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती कम्पनी द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा ।

12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों की भलीभांति पाल करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्दत समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा विधिक कार्यवाही नही की जाएगी ।

13. मै घोषणा करता/करती हूँ की मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है । यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है . तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानुन संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मै स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह0 निदेशक

ह0 निदेशक

NOTARY
R.B. Singh
Advocate/Notary
Prayagraj
Reg. No. 20/13/2000
Govt. of U.P. India
31-08-2023

(1) Dr Neeraj Agrawal
(2) Dr. Kirtika Agrawal
Sri........
who has been Identified by
Sri.... A.S. Agrawal
Sworn before me on 31-08-2023
and accepted the contents of
this Affidavit to be true.
R.B. Singh
Notary Govt. of U.P
Prayagraj

Identified by
Advocate
Prayagraj